बहादुर इन्सान नागरिक दल

अनुच्छेद (1) पार्टी का नामः– **बहादुर इन्सान नागरिक दल**

अनुच्छेद (2) पार्टी के उद्धेश्य एवं लक्ष्यः–

1. पार्टी की भारत के संविधान में सच्ची श्रद्वा एवं निष्ठा है। पार्टी भारतीय लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता और समाजवाद में आस्था एवं विश्वास रखेगी। पार्टी का विश्वास ऐसी राजनितिक व्यवस्था में है जिसमें आर्थिक एवं राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण निश्चित रूप से हो, पार्टी संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को मान्यता प्रदान करती है। शान्तिमय एवं लोकतान्त्रिक तरीकों से विरोध प्रकट करने के अधिकार एवं सत्याग्रह भी इसमें सम्मिलित हैं।

2. पार्टी धर्म निरपेक्ष राज्य की अवधारणा को स्वीकार करती है तथा धर्म पर आधारित राज्य पर आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन का विरोध करती है।

3. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समान अवसर के सिद्धान्त में पार्टी का अटूट विश्वास है किन्तु सामान्य, अल्पसंख्यको, पिछड़ों और महिलाओं के लिए विशेष अवसर के सिद्धान्त को पार्टी मान्यता प्रदान करती है। समता मूलक समाज की स्थापना के लिए उक्त बातें आवश्यक हैं।

4. पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एंव निष्ठा बनाये रखेगी तथा उनमें सन्निहित समाजवाद, धर्म निरपेक्षता एवं प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी।

5. पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ–निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी तथा भारत की प्रभुता, एकता व अखंण्डता को अक्षुण्ण रखेगी।

अनुच्छेद(3) सदस्यताः–

(क) 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक जो दल के संविधान की अनुच्छेद 2 को स्वीकार करता हो 10/– रुपया वार्षिक शुल्क देकर दल का प्रारम्भिक सदस्य बन सकेगा। शर्त यह है कि वह अन्य किसी राजनीतिक दल का सदस्य न हो। यदि किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य इस पार्टी का सदस्य बनना चाहता है तो उसे ऐसे राजनीतिक दल को उसके द्वारा दिये गये त्यागपत्र/ इस्तीफे की कापी दल के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त ही उसकी सदस्यता पर विचार किया जा सकेगा। दल की सदस्यता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा तथा किसी भी व्यस्क भारतीय नागरिक के लिये सदस्यता खुली रहेगी।

(ख) जो प्रारम्भिक सदस्य कम से कम 25 प्रारम्भिक सदस्यों की भर्ती करे और उनका रू 250/– सदस्यता शुल्क जमा करे, वह दल का सक्रिय सदस्य होगा।

(ग) सदस्यता का कार्यकाल एक वर्ष होगा जो पहली अप्रेल से प्रारम्भ होकर दूसरे वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा।

(घ) सदस्यता शुल्क विभिन्न इकाइयों में इस प्रकार बॉटा जायेगा।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी	25 प्रतिशत
राज्य कार्यकारिणी	25 प्रतिशत
जिला/नगर निगम/ नगर पालिका कार्यकारिणी	25 प्रतिशत
विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी	25 प्रतिशत

सदस्यता का पूरा शुल्क संबंधित राज्य कार्यालय में जमा किया जायेगा, जहॉ से दल के नये चुनावों के बाद उपरोक्त वर्णित व्यवस्थानुसार वितरित होगा।

क– राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी प्रतिवर्ष रू 4000/–
ख– राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रतिवर्ष 2000/–
ग– राज्य के पदाधिकारी प्रति वर्ष रू 2000/–
घ– राज्य कार्यकारिणी के सदस्य प्रति वर्ष रू 500/–
ड़– जिला कार्यकारिणी, नगर निगम कार्यकारिणी, नगर पालिका कार्यकारिणी के पदाधिकारी प्रतिवर्ष रू 500/–
च– जिला कार्यकारिणी, नगर निगम कार्यकारिणी, नगरपालिका, टाउन एरिया, विधान सभा क्षेत्र कार्यकारिणी के सदस्य प्रतिवर्ष रू 300/– पार्टी कोष में जमा करेंगे। पार्टी द्वारा निशिचत अवधि के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा न करने वाले सदस्यों/ पदाधिकारियों की कार्य समिति से सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

अनुच्छेद (4)

<u>क.　　सदस्यों की सूचीः—</u>

1. जिला स्तर पर प्रारभिक एवं सक्रिय सदस्यों की सूची जिला अध्यक्ष की देख—रेख में अलग—अलग रजिस्टर में तैयार की जायेगी। जिला अध्यक्ष एवं महासचिव दोनों के हस्ताक्षरों से सक्रिय सदस्यों की सूची राज्य कार्यकारिणी को भेजी जायेगी।

2. सदस्यता सूची मे सदस्य का नाम, स्थायी पता, भर्ती की तिथि तथा सदस्यता फार्म का क्रमांक अंकित किया जायेगा।

<u>ख.　　सदस्यता की समाप्ति एवं निलंबन</u>

1. मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पर, पार्टी से निष्कासित किये जाने, किसी अन्य राजनैतिक दल से जुड़ने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

2. <u>सदस्यों का निलंबन</u>

   किसी भी सदस्य के उपर अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित होने पर सदस्य को निलंबित किया जा सकता है।
   फर्जी सदस्यता की लिखित शिकायत यदि तथ्यों के साथ जिलाध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष अथवा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा जायेगा अथवा प्रदेश अध्यक्ष स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिस तरह से उचित समझे इसकी जांच करायेगा। यदि जांच से यह सिद्ध हो जाता है कि सदस्य फर्जी है तो सदस्यता करने वाला व्यक्ति किसी भी पद के लिए अयोग्य समझा जायेगा। प्रदेश अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ अपील राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहां की जा सकेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सुनवाई कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

अनुच्छेद (5) संगठनात्मक ढॉचाः—

पार्टी के निम्नलिखित अंग होंगेः—

1. राष्ट्रीय संगठन
   (1) राष्ट्रीय सम्मेलन
   (2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी
   (3) केन्द्रीय संसदीय बोर्ड

2. राज्य / प्रान्तीय संगठन

(1) राज्य सम्मेलन
(2) राज्य कार्यकारिणी
(3) राज्य संसदीय बोर्ड

3. जिला स्तरीय संगठन
(1) जिला सम्मेलन
(2) जिला कार्यकारिणी

4. नगरीय संगठन
(1) नगर निगम सम्मेलन एवं नगर निगम कार्यकारिणी
(2) नगर पालिका सम्मेलन एवं नगर पालिका कार्यकारिणी

5. विधानसभा क्षेत्र स्तरीय संगठन
(1) विधानसभा क्षेत्र सम्मेलन
(2)विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी

6. प्रारम्भिक समिति
7. संरक्षक समिति
8. सहायक संगठन

अनुच्छेद (6) राज्य की इकाईयों का क्षेत्रः—

1. भारतीय संविधान की प्रथम सूची में उल्लिखित राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों के अनुरूप दल की राज्य इकाईयों का गठन होगा।

2. राज्य इकाइयों का मुख्यालय सम्बन्धित राज्य/ केन्द्र शासित क्षेत्र की राजधानी में होगा।

अनुच्छेद (7) कार्यकालः—

प्रत्येक सम्मेलन, प्रत्येक कार्यकारिणी, प्रत्येक समिति तथा पदाधिकारियों का कार्यकाल अधिक से अधिक 4 वर्ष का होगा।

अनुच्छेद (8) सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया तथा नामांकनः—

दल की सभी शीर्ष स्तरीय समितियों तथा प्रतिनिधि निकायों, प्रत्येक कार्यकारिणी, प्रत्येक समिति का गठन लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से होगा। तथा ऐसे निकायों के चुनाव होने की अवधि तक उनका नामांकन अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक के लिए हो सकेगा। तथा ऐसा नामांकन, समिति/ निकाय की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकेगा।

अनुच्छेद (9) प्रारम्भिक समितिः–

(1) प्रारम्भिक समिति का क्षेत्र एक मतदान केन्द्र होगा।
(2) इस संविधान में उल्लिखित राज्य शब्द में केन्द्र शासित क्षेत्र भी शामिल होगा।
(3) 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले नगरों के संगठन को इस संविधान के अन्तर्गत पृथक जिला स्तरीय संगठन माना जायेगा।
(4) प्रारम्भिक समिति का गठन केवल वहीं हो सकेगा, जहॉ एक मतदान केन्द्र के प्रत्येक बूथ पर कम से कम एक सक्रिय सदस्य हो। सक्रिय सदस्यों की सूची में से ही प्रारम्भिक समिति का अध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत किया जायेगा।
(5) 25 प्रारम्भिक सदस्यों पर प्रारम्भिक समिति अध्यक्ष सहित सात सदस्यी और 25 से ज्यादा सदस्य होने पर अध्यक्ष सहित ग्यारह सदस्यीय होगी। जिनका चुनाव प्रारम्भिक सदस्यों द्वारा किया जायेगा।
(6) नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड को प्रारम्भिक समिति माना जायेगा।

अनुच्छेद (10) विधान सभा क्षेत्र सम्मेलन एवं कार्यकारिणीः–

1. विधान सभा क्षेत्र की सीमा के अन्दर जिसमें नगर पंचायत भी शामिल है, प्रत्येक सक्रिय सदस्य विधान सभा क्षेत्र सम्मेलन का सदस्य होगा।

2. दल के सक्रिय सदस्य एवं विधान सभा क्षेत्र की सीमा के अन्दर निवास करने वाले दल के विधायक, सांसद, अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, सदस्य जिला पंचायत, संचालक जिला सहकारी बैंक और शीर्षस्थ सहकारी संस्थओं के अध्यक्ष एवं निदेशक विधान सभा क्षेत्र कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्यों के लिए दल का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है।

3. विधान सभा क्षेत्र सम्मेलन द्वारा अध्यक्ष सहित 51 सदस्यीय कार्यकारिणी के चुनाव के साथ साथ क्षेत्र के सक्रिय सदस्यों की कुल संख्या का 20 प्रतिशत जिला सम्मेलन 10 प्रतिशत राज्य सम्मेलन तथा 5 प्रतिशत राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जायेगा। सभी स्तर के प्रतिनिधियों के लिए सक्रिय सदस्य होना आवशयक होगा। अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दस सचिवों एवं एक कोषाध्यक्ष को मनोनीत करेगा।

4. विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी का अध्यक्ष कार्यकारिणी की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य बुलायेगा।

अनुच्छेद (11) जिला सम्मेलन एवं कार्यकारिणीः—

जिला सम्मेलन में निम्नलिखित सदस्य होंगेः—

1. जिले के अन्तर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र सम्मेलनों एवं तीन लाख से कम आबादी वाले नगर पालिकाओं के सम्मेलन द्वारा जिला सम्मेलन के लिये चुने हुए प्रतिनिधि।
2. जिले के दल के सभी वर्तमान एवं पुर्व सांसद और विधायक, अध्यक्ष एवं सदस्य जिला पंचायत, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, अध्यक्ष जिला सहकारी संघ, अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत और राज्य की शीर्ष सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं संचालक तथा विधान सभा क्षेत्र अध्यक्ष जिला सम्मेलन के पदेन सदस्य होंगे, बर्शते वे पार्टी के सक्रिय सदस्य हों। सभी जिला कार्यकारिणी के पदेन सदस्य भी होंगे।
3. जिला सम्मेलन अध्यक्ष सहित 101 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी का चुनाव करेगा। अध्यक्ष इन सदस्यों में 15 उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष व 15 सचिवों को मनोनीत करेगा। जिला कार्यकारिणी की बैठक छः महीने में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी।
4. जब तक 50 प्रतिशत विधानसभा क्षेत्र समितियों का गठन नहीं होता, जिला सम्मेलन और जिला कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सकेगा।

अनुच्छेद (12) नगर निगम / नगर पालिका सम्मेलनः—

इन सम्मेलनों का गठन निम्नवत होगा।

1. नगर निगम / नगर पालिका (तीन लाख आबादी या इससे अधिक) के प्रत्येक वार्ड के सम्मेलन में वार्ड के सभी सक्रिय सदस्य प्रतिनिधि होंगे। जो कुल सक्रिय सदस्यों में से 20 प्रतिशत नगर पालिका सम्मेलन, 10 प्रतिशत राज्य सम्मेलन तथा 5 प्रतिशत राष्ट्रीय सम्मेलन के लिये प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे।
2. नगरपालिका (तीन लाख से कम आबादी) के सभी सक्रिय सदस्य नगरपालिका सम्मेलन के प्रतिनिधि होंगे। जो 20 प्रतिशत सक्रिय सदस्यों को जिला सम्मेलन 10 प्रतिश्त सक्रिय सदस्यों को राज्य सम्मेलन तथा 5 प्रतिशत सक्रिय सदस्यों को राष्ट्रीय सम्मेलन के लिये प्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे।
3. नगर निगम और नगर पालिका की सीमा के अर्न्तगत निवास करने वाले विधायक, संसद सदस्य, नगर निगम अध्यक्ष, नगर निगम पार्षद, तथा नगरपालिका सभासद, यदि ये पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं तो नगर निगम सम्मेलन अथवा नगरपालिका सम्मेलन के प्रतिनिधि होंगे। ये सभी नगर निगम/नगर पालिका कार्यकारिणी के पदेन सदस्य भी होंगे।

अनुच्छेद (13) नगर निगम/नगर पालिका कार्यकारिणीः—

1. नगर निगम की कार्यकारिणी में अध्यक्ष सहित 61 सदस्यों का चुनाव नगर निगम सम्मेलन करेगा और अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से 8 उपाध्यक्ष एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं 9 सचिवों को मनोनीत करेगा।

2. नगरपालिका की कार्यकारिणी में अध्यक्ष सहित 51 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव नगरपालिका सम्मेलन करेगा। अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से 7 उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं 8 सचिवों को मनोनीत करेगा।

3. नगर निगम एवं नगर पालिका के वार्ड स्तर पर भी पार्टी की इकाइयों का गठन किया जायेगा।

4. नगरपालिका में प्रत्येक वार्ड से कम से कम 5 तथा नगर निगम में प्रत्येक वार्ड से कम से कम 10 सक्रिय सदस्यों के होने पर ही वार्ड कमेटी का गठन किया जा सकेगा। वार्ड के प्रारम्भिक सदस्य वार्ड कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं 20 सदस्यों का चुनाव करेंगे। अध्यक्ष सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष, एवं महासचिव, एक कोषाध्यक्ष और तीन सचिवों को मनोनीत करेगा। पदाधिकारी केवल सक्रिय सदस्य ही हो सेकेंगे।

5. कम से कम 50 प्रतिशत वार्ड समितियों का गठन होने पर ही नगरपालिका कार्यकारिणी एवं नगर निगम कार्यकारिणी का गठन हो सकेगा। कार्यकारिणी की बैठक तीन महीने में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी।

अनुच्छेद (14) राज्य सम्मेलनः—

राज्य सम्मेलन के निम्नलिखित प्रतिनिधी होंगेः—

1. राज्य कार्यकारिणी द्वारा नामित निर्वाचन अधिकारी की देख—रेख में विधानसभा क्षेत्र सम्मेलनों, नगर निगम/ नगर पालिका (तीन लाख आबादी) के वार्ड सम्मेलनों तथा नगरपालिका (तीन लाख से कम आबादी) के सम्मेलनों द्वारा चयनित राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि।
2. प्रत्येक वार्ड के सम्मेलन में वार्ड के भी सक्रिय सदस्य प्रतिनिधि होंगे। विधानसभा क्षेत्र की कार्यकारिणी की तरह चुनाव करेंगे तथा कुल सक्रिय सदस्यों में से 20 प्रतिशत जिला सम्मेलन, 10 प्रतिशत महानगर सम्मेलन तथा 5 प्रतिशत सक्रिय सदस्यों को राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिनिधि चुनेंगे।
3. संबन्धित राज्य के दल के सभी संसद सदस्य, विधायक, अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, अध्यक्ष नगर निगम, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, अध्यक्ष जिला सहकारी संघ, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, राज्य कार्यकारिणी के पूर्व अध्यक्ष, समस्त जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष, तीन लाख के उपर की आबादी वाले सभी नगर अध्यक्ष, शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष भी राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि होंगे। शर्त यह है कि उक्त सभी को दल का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य होगा।
4. पार्टी के सम्बद्ध सगंठनों के जिला अध्यक्ष एवं राज्य स्तरीय अध्यक्ष भी राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि होंगे।
5. जब तक किसी राज्य के अर्न्तगत कम से कम 30 प्रतिशत जिला सम्मेलनों / नगर निगम सम्मेलनों / नगर पालिका सम्मेलनों का गठन नहीं होता, राज्य सम्मेलन का गठन नहीं हो सकेगा।

अनुच्छेद(15) राज्य कार्यकारिणीः—

1. राज्य सम्मेलन, राज्य कार्यकारिणी के लिए अध्यक्ष सहित 151 सदस्यों का निर्वाचन करेगा। अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से 21 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष एवं 25 सचिवों को मनोनीत करेगा।
2. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अपने अपने राज्यों में राज्य कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। सम्बद्ध संगठनों के राज्य अध्यक्ष एवं सहकारी शीर्षस्थ संस्थाओं के राज्य अध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। अपने जिले की कार्यकारिणी में भी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य पदेन सदस्य होंगे।
4. राज्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष एक वर्ष में कम से कम एक बार राज्य कार्यकारिणी की बैठक अवश्य बुलायेगा।
5. राज्य कार्यकारिणी के 50 प्रतिश सदस्यों अथवा राज्य सम्मेलन के 50 प्रतिशत सदस्यों की मॉग पर राज्य कार्यकारिणी एवं राज्य सम्मेलन की बैठक बुलाने को अध्यक्ष बाध्य होगा।

6. राज्य सम्मेलन तीन वर्ष में एक बार अवश्य आहुत किया जायेगा।

अनुच्छेद(16) राष्ट्रीय सम्मेलनः–

1. राष्ट्रीय सम्मेलन में निम्नलिखित प्रतिनिधि होंगेः–

क. प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय सम्मेलन के लिये चयनित प्रतिनिधि।
ख. पार्टी के सभी सांसद, सभी विधायक एंव सभी भूत पूर्व सांसद सदस्य और पार्टी के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष।
ग. पार्टी के सभी राज्य अध्यक्ष, सम्बद्ध संगठनों के सभी राज्य एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष।
घ. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य।
ड. पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, यदि वह पार्टी के सक्रिय सदस्य हों।
च. इस धारा की उप धारा 1 ''क'' से ''ड़'' के प्रतिनिधियों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत प्रतिनिधि राष्ट्रीय सम्मेलन हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।
2. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर अथवा राष्ट्रीय सम्मेलन के 40 प्रतिशत सदस्यों की मॉग पर राष्ट्रीय सम्मेलन का विशेष अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कभी भी बुलाया जा सकता है।
3. 3 वर्ष के अन्दर कम से कम एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर राष्ट्रीय सम्मेलन की बैठक अवश्य होगी।
4. राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिध्यिों के चयन को लेकर यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निणर्य अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

अनुच्छेद(17) राष्ट्रीय कार्यकारिणीः–

1. राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष सहित 201 सदस्य होंगे जिनका निर्वाचन राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा किया जायेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों मे से 25 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष, 1 महासचिव एवं 35 सचिवों को मनोनीत करेगा।

2. पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन या विशेष सम्मेलन द्वारा लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन कराने का दायित्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी का होगा।

3. पार्टी के संविधान की विभिन्न धाराओं की व्याख्या एवं प्रयोग संबंधी मामलों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिकार अंतिम एवं निर्णायक होगा।

4. राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रत्येक बैठक के समक्ष सम्मेलन की पिछली बैठक की कार्यवाही का विवरण और उस बैठक की विषय सूची रखेगी।

5. राष्ट्रीय सम्मेलन का कोई सदस्य यदि सम्मेलन की बैठक में कोइ प्रस्ताव लाना चाहता है तो वह सम्मेलन की बैठक से कम से कम 15 दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष अपना प्रस्ताव भेजेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रस्ताव से सहमत होने की दशा में विचार हेतु सम्मेलन मे ला सकती है।

6. राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी की समस्त इकाइयों के रिकार्ड अभिलेख, कागजात, और बही खाता की जॉच करने के लिये लेखा परीक्षकों या अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। सभी इकाइयों के लिये इन लेखा परीक्षकों एवं अधिकारियों को वांछित सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

7. आवश्यकता पड़ने पर दल को सुचारु रुप से चलाने के लिये नियम बनाना, नियमों का कियान्वयन कराना राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिकार होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा इस तरह बनाये गये नियमों का अनुमोदन राष्ट्रीय सम्मेलन की अगली बैठक मे अनिवार्य रुप से किया जायेगा।

8. पार्टी के संविधान के अधीन विभिन्न इकाइयों को निर्देश देने का अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी को होगा।

9. राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही वह तारीख तय करेगी जिस पर उसके अन्तर्गत जिला और राज्य इकाइयों तथा राष्ट्रीय सम्मेलन के गठन का कार्य पूरा होगा।

10. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक वर्ष में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा अवश्य बुलाई जायेगी।

11. संसदीय दल का नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पदेन सदस्य होगा। राज्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष और पार्टी के विधान मण्डल दल के नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। सम्बद्ध संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

अनुच्छेद (18) अध्यक्षः—

(क) अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय सम्मेलन एवं दल के विशेष अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(ख) पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुशासन सम्बंधी कोई भी कार्यवाही करने में सक्षम होगा। यदि अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट है कि पार्टी के किसी पदाधिकारी या सदस्य का आचरण पार्टी विरोधी है तो अध्यक्ष ऐसे किसी भी पदाधिकारी, सदस्य या सदस्यों को पार्टी से निलंबित कर सकता है। लेकिन ऐसे मामले को जॉच के लिए सम्बन्धित अनुशासन समिति को प्रेषित करना होगा।

(ग) जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही होगी उस अवधि में राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा। इस दौरान लिए गये निर्णय की पुष्टि कार्यकारिणी की अगली बैठक में करनी होगी।

(घ) कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार अध्यक्ष को होगा। कार्यकारिणी के 50 प्रतिशत सदस्यों की मॉग पर अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने को बाध्य होगा।

(ड.) कार्यकारिणी के किसी सदस्य के त्याग–पत्र देने, मृत्यु होने या पार्टी से निकाले जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों/स्थान को अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अनुमति से शेष कार्यकाल के लिये मनोनयन के द्वारा भर सकेगा।

(च) पार्टी के सम्बद्ध संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों, पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को होगा। सम्बद्ध संगठनों की राज्य कार्यकारिणी का गठन राज्य अध्यक्ष मनोनयन के द्वारा करेगा लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से इसका पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रुप से कराना होगा।

अनुच्छेद (19) उपाध्यक्षः–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा नामित उपाध्यक्ष करेगा। समय–समय पर अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत उपाध्यक्ष वह सभी कार्य करेगा, जिसके लिये उसे अधिकृत किया गया है।

अनुच्छेद (20) कोषाध्यक्षः–

कोषाध्यक्ष पार्टी के कोष का व्यवस्थापक होगा। वह समस्त पूॅजी विनियोग आमदनी तथा खर्च का हिसाब रखेगा।

अनुच्छेद (21) महासचिवः–

अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये उत्तरदायित्वों के अनुसार महासचिव पार्टी के अधिवेशन /विशेष अधिवेशन की कार्यवाही तैयार करेगा तथा उसका प्रकाशन कराना महासचिव का दायित्व

होगा। राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्य का विवरण तैयार करना, अगली बैठक में उसे प्रस्तुत करने का कार्य भी महासचिव का होगा।

अनुच्छेद (22) सचिवः—

अध्यक्ष एवं महासचिव से परामर्श करते हुए उनके निर्देशानुसार पार्टी के लिए कार्य करेगा।

अनुच्छेद (23)

इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित सम्मेलनों का गठन न होने पर विधान सभा क्षेत्र, नगर निगम, नगरपालिका, जिला कार्यकारिणी तथा राज्य कार्यकारिणी का मनोनयन पार्टी की आम सभा के समस्त सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

अनुच्छेद (24) केन्द्रीय संसदीय बोर्ड (सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट्री बोर्ड)

पार्टी का एक केन्द्रीय संसदीय बोर्ड होगा जिसमें सदस्यों की संख्या 7 होगी। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होगा और महासचिव बोर्ड का सचिव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अनुमोदन से संसदीय दल के नेता सहित अधिक से अधिक 5 सदस्यों को संसदीय बोर्ड के लिए मनोनित करेगा। राज्य के विधानमण्डलों एवं संसद के निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों का चयन करने वाली अन्तिम निर्णायक संस्था के रुप में केन्द्रीय संसदीय बोर्ड कार्य करेगा। चुनाव टिकट का आवंटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से होगा अथवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस व्यक्ति को अधिकृत करेगा उसके हस्ताक्षर से चुनाव टिकट का आवंटन हो सकेगा।

अनुच्छेद (25) राज्य संसदीय बोर्डः—

(1) पार्टी के प्रत्येक राज्य संसदीय बोर्ड की सदस्य संख्या अध्यक्ष सहित 7 होगी। राज्य र्काकारिणी का अध्यक्ष राज्य संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होगा तथा महासचिव बोर्ड का सचिव होगा। प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कार्यकारिणी के अनुमोदन से विधानमण्डल दल के नेता सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों को राज्य संसदीय बोर्ड का सदस्य मनोनीत करेगा।

(2) राज्य संसदीय बोर्ड विधान मण्डलों एवं स्थानीय निकायों में पार्टी के सदस्यों के लिये मार्गदर्शक का कार्य करेगा।

(3) राज्य संसदीय बोर्ड अपने—अपने राज्यों में लोकसभा, विधानसभा, एवं स्थानीय निकाय के चुनावों के समय प्रत्याशियों के नामों का पैनल केन्द्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेगा।

अनुच्छेद (26) संरक्षक समितिः—

प्रत्येक स्तर पर पार्टी द्वारा मनोनीत किये गये कुछ सदस्य इस समिति के सदस्य होंगे जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष के अनुमोदन पर निर्धारित की जायगी। इस समिति में पार्टी के विचार धाराओं से सहमति रखने वाले सेवानिवृत प्रशासनिक अधिकारी, सभी धर्मों के धर्म गुरू, भूतपूर्व पदक प्राप्त सैनिक एवं अन्य विशेष क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त विशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित किये जायेंगे। इनका मनोनयन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

यह समिति, पार्टी की विचारधाराओं से मेल खाते हुए सुझाव जो पार्टी के हित में हो समय समय पर पार्टी के हर स्तर के संगठनों को भेजेगी तथा सभी स्तर के संगठनों की मीटिंग में भाग लेगी।

अनुच्छेद (27) सहायक संगठन

1. किसान संगठन
2. व्यापारी संगठन
3. महिला संगठन
4. युवा संगठन
5. अधिवक्ता संगठन
6. बेरोजगार संगठन
7. छात्र संगठन
8. भूतपूर्व सैनिक संगठन
9. अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा संगठन
10. चिकित्सक संगठन
11. बुद्धिजीवी संगठन
12. मजदूर संगठन
13. शिक्षक संगठन
14. सेवानिवृत अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन
15. संरक्षक मंडल संगठन

इन सभी का चयन उपर्युक्त विधि के अनुसार ही होगा।

अनुच्छेद (28) विशेष अधिवेशनः—

(1) पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन 3 वर्षों में एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर होगा। लेकिन राष्ट्रीय सम्मेलन के 50 प्रतिशत सदस्यों द्वारा मॉग करने पर या राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निश्चित करने पर विशेष अधिवेशन एक माह पूर्व की सूचना पर

कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बुलाया जा सकता है। अधिवेशन पार्टी के लिये दिशा–निर्देश का कार्य करेगा।

(2) अधिवेशन के लिये प्रतिनिधि राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों को ही माना जायेगा। अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(3) जिस राज्य में अधिवेशन हो रहा है उस राज्य की कार्यकारिणी अधिवेशन के लिये स्वागत समिति के रुप में कार्य करेगी तथा उसकी तैयारी के लिये सारी व्यवस्था जिसमें इस हेतु धन संग्रह एवं उसका हिसाब–किताब शामिल है, राज्य कार्यकारिणी ही करेगी।

अनुच्छेद (29) विषय निर्धारण समितिः–

(1) पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन या विशेष अधिवेशन से पहले जब विभिन्न प्रस्तावों के चयन हेतु बैठेगी तो उसे विषय निर्धारण समिति का नाम दिया जायेगा।

(2) राष्ट्रीय सम्मेलन/विशेष अधिवेशन के लिये प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा विषय निर्धारण समिति को भेजे गये प्रस्ताव और राज्य सम्मेलनों द्वारा अधिवेशन से कम से कम 15 दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भेजे गये प्रस्ताव जिन पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सहमत हो, विषय निर्धारण समिति के समक्ष रखे जायेंगे। विषय निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत न होने पर अधिवेशन की बैठक के ठीक पहले यदि कम से कम 100 प्रतिनिधि इस प्रस्ताव को रखने के लिये लिखकर दे तो अध्यक्ष उस प्रस्ताव पर चर्चा के लिये समय देगा।

अनुच्छेद (30) कोरमः–

पार्टी के समस्त सम्मेलनों एवं विशेष अधिवेशनों की बैठकों के लिये कोरम कुल संख्या का 20 प्रतिशत होगा। कार्य समितियों की बैठक का कोरम कुल संख्या का एक तिहाई होगा।

अनुच्छेद (31) कोर कमेटीः–

पॉच सदस्यी एक कोर कमेटी होगी जिसमे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं, राष्ट्रीय महासचिव, किन्ही दो प्रान्तों के प्रान्तीय अध्यक्ष/ सचिव में से एक–एक, यह चारों मिलकर कोर कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। कोर कमेटी राष्ट्रीय संगठन को समय–समय पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी तथा अनुशासन, व्यवस्था, चुनाव संचालन, समन्वय तथा समस्त संगठनों की राष्ट्रीय अध्यक्ष के परामर्शानुसार निगरानी करेगी।

अनुच्छेद (32) बैठक की सूचनाः–

विधान सभा क्षेत्र कार्यकारिणी /नगरपालिका /नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक एक सप्ताह की पूर्व सूचना पर, राज्य कार्यकारिणी की बैठक एक सप्ताह की पूर्व सूचना पर, राज्य कार्यकारिणी की बैठक 15 दिन की पूर्व सूचना पर तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 20 दिन की पूर्व सूचना पर सम्बन्धित अध्यक्ष द्वारा आहूत की जा सकेगी। असामान्य परिस्थितियों में बैठक अल्प सूचना पर भी बुलाई जा सकती है।

अनुच्छेद (33) बैठको की वैधताः–

पार्टी की विभिन्न समितियों, परिषदों अन्य प्रतिनिधि निकायों की बैठकों के वैध होने के लिये कुल पदाधिकारियों के न्यूनतम 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

अनुच्छेद (34) बैंक खाताः–

विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, नगरपालिका कार्यकारिणी, नगर निगम कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैंक खाते पार्टी की सम्बन्धित इकाइयों के नाम से खोले जायेंगे और सम्बन्धित इकाई के अध्यक्ष/ महासचिव एवं कोषाध्यक्ष तीनों मे से किन्ही दो के द्वारा संयुक्त रुप से संचालित होंगे। बैंक खाते राष्ट्रीय बैंक में ही खोले जायेंगे।

अनुच्छेद (35) लेखा पुस्तको का परीक्षणः–

पार्टी के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर आयोग को वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा। पार्टी का लेखा परीक्षण सी0 ए0 जी0 के पैनल में शामिल आडिटर से कराया जाएगा तथा पार्टी का फण्ड केवल राजनैतिक कार्यो के लिए ही इस्तेमाल किया जायेगा। पार्टी अपने वित्तीय लेखों के रख रखाव में आयोग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों का पालन करेगी।

अनुच्छेद (36) निर्वाचन प्रक्रियाः–

(1) राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनावः–

(क) राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी भी एक व्यक्ति को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगी। निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन को सूचारु रुप से सम्पन्न करा सके, इसलिये निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये राष्ट्रीय अध्यक्ष दो सहायक निर्वाचन अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकता है।

(ख) राष्ट्रीय सम्मेलन के सभी सदस्यों को निर्वाचन की सूचना निर्वाचन अधिकारी द्वारा डाक से, समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर अथवा ई–मेल/एस0एम0एस0 से दी जायेगी।

(ग) अध्यक्ष पद के लिये राष्ट्रीय सम्मेलन के दस सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करेंगे जो राष्ट्रीय सम्मेलन का सदस्य हो। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिये राष्ट्रीय सम्मेलन का एक सदस्य जो किसी अन्य सदस्य जो राष्ट्रीय सम्मेलन का सदस्य हो का नाम प्रस्तावित कर सकेगा।

(घ) नामांकन वापसी के बाद यदि चुनाव आवश्यक हुआ तो अगले दिन ही पूर्व निर्धारित अवधि के भीतर, नियत स्थान पर अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी का चुनाव सम्पन्न होगा।

(ङ) मतदान समाप्त होने के तुरन्त बाद मतगणना प्रारम्भ कर दी जायेगी और जब तक मतगणना पूरी नही हो जाती, यह कार्यवाही जारी रहेगी।

(च) राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष के उम्मीदवारों में सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जायेगा।

(2) राज्य इकाइयों के अध्यक्ष और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचनः–

(क) राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित समय के भीतर राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी करायेगा।

(ख) राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार बनने के लिये राज्य सम्मेलन के किसी सदस्य के नाम का प्रस्ताव राज्य सममेलन के किसी एक अन्य सदस्य द्वारा किया जाना आवश्यक है।

(ग) अध्यक्ष पद हेतु राज्य सम्मेलन का कोई भी सदस्य जिसके नाम का प्रस्ताव राज्य सम्मेलन के दस सदस्यों द्वारा किया गया हो, उम्मीदवार बन सकता है।

(घ) राज्य सम्मेलन के सदस्य कार्यकारिणी के सदस्यों के चुनाव में एक नाम का ही प्रस्ताव कर सकेंगे।

(ङ) नाम वापसी के बाद यदि निर्वाचन आवश्यक हुआ तो अगले दिन मतदान कराया जायेगा। मतदान के तुरन्त बाद मतगणना सम्पन्न होगी तथा निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्यकारिणी के विजयी सदस्यों की घोषणा कर दी जायेगी।

(च) विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी, नगर निगम एवं नगर पालिका कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों, राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधियों एवं जिला सम्मेलन के प्रतिनिधियों का निर्वाचन अनुच्छेद 36(2) के अनुसार ही सम्पन्न किया जायेगा।

अनुच्छेद (37) निर्वाचन सम्बन्धी विवादः–

इस तरह के जिला स्तरीय विवादों को राज्य कार्यकारिणी निपटायेगी। राज्य के निर्वाचन सम्बन्धी विवाद के मामलों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी अधिकारी को नियुक्त करके जॉच करायेगी तथा अन्तिम निर्णय देगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त अधिकारियों का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

अनुच्छेद (38) अनुशासन समितिः–

अनुशासन हीनता के मामलों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक 5 सदस्यीय समिति का गठन करेगी। इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होंगे। समिति से निश्चित समय सीमा के अन्दर जॉच रिर्पोट एवं संस्तुतियों को प्राप्त करके तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अनुमोदन से अध्यक्ष अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

अनुच्छेद (39) संविधान में संशोधनः–

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सिफारिश पर राष्ट्रीय सम्मेलन या विशेष अधिवेशन कुल सदस्यों के बहुमत और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से अनुच्छेद (2) को छोड़कर पार्टी के संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा या विशेष अधिवेशन द्वारा अधिकृत किये जाने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। संविधान में संशोधन के लिये पार्टी की जनरल बॉडी मिटिग का अनुमोदन होना आवश्यक है।

अनुच्छेद (40) पार्टी के विलय एवं विघटन संबंधी प्रावधानः–

पार्टी के विघटन या किसी अन्य पार्टी के साथ विलय का निर्णय पार्टी की राष्ट्रीय सम्मेलन /राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से लिया जाएगा। इसके पश्चात् यह प्रस्ताव, पार्टी की, उस समय तक विद्यमान, समस्त स्तरों की कार्यकारिणियों/ परिषदों को अनुमोदन

के लिए भेजा जाएगा। पार्टी की कम से कम 2/3 कार्यकारिणयों/ परिषदों के अनुमोदन के पश्चात् यह प्रस्ताव अंतिम रुप से पारित होगा। पूर्ण अधिवेशन की बैठक के लिए कोरम पूर्ण अधिवेशन में भाग लेने के हकदार व्यक्तियों का 50 प्रतिशत होगा।

अनुच्छेद (41) विविध प्रावधान

1. पार्टी विधान सभा क्षेत्र कार्यकारिणी से राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक सभी संगठनों में पिछड़ों, सामान्य, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं को कम से कम 60 प्रतिशत स्थानों पर समायोजित करेगी।

2. पार्टी पंजीकरण के पॉच वर्ष के अंदर निर्वाचन आयोग द्वारा कराये गये चुनाव में भाग लेगी तथा इसके पश्चात् भी चुनाव लड़ना जारी रखेगी। यदि दल लगातार छः वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है तो पंजीकृत दलों की सूची से उसका नाम हटा दिया जाएगा।

3. पार्टी किसी भी रुप में हिंसा भडकाने या बढ़ावा देने में भाग नहीं लेगी और न ही इसमे शामिल होगी।

4. पार्टी की विभिन्न समितियों, परिषदों और अन्य अंगों के अधिवेशन में कोरम के लिये कम से कम 1/3 सदस्यों का होना आवश्यक है। दल की विभिन्न समितियों, परिषदों तथा अन्य प्रतिनिधि निकायों के बैठकों के लिए गणपूर्ति, संबन्धित निकायों के न्यूनतम 1/3 सदस्य का होना अनिवार्य है।

5. पार्टी के सभी पदों तथा पदाधिकारियों के समयबद्ध नियमित चुनाव होंगे परन्तु अधिक से अधिक 4 वर्षों के अन्दर चुनाव कराना होगा।

6. पार्टी में कोई भी पद वंशानुगत एवं स्थायी नहीं होगा।

7. पार्टी द्वारा किया गया समस्त कार्य लोकतांत्रिक तरीके से होगा एवं पार्टी में किसी भी पद का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होगा एवं हर स्तर पर लिया गया फैसला बहुमत के आधार पर होगा।

8. किसी भी स्तर पर किसी भी पद के लिए किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो वह लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया के तहत होगी और सदस्यों का नामांकन कम से कम होगा जो कुल सदस्यों के 1/3 भाग से अधिक नहीं होगा।

9. पार्टी के नाम से बैंक खाता और पैन कार्ड बनाया जायेगा एवं इसके लेन–देन में पूर्ण पारदर्शिता रखी जायेगी।

10. पार्टी का फंड केवल पार्टी के राजनैतिक उददेश्य पर ही खर्च किया जायेगा और पार्टी अपने खाते का रख रखाव समय समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार करेगी ।

11. पार्टी लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षवाद को अपने मूल सिद्धांत घोषित करती है।